

17/4/25

पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान्
अधिवक्ता उप०। शेष विपरीतों के
विरुद्ध एक्टरफा कार्यवाही मूल वाद में लाई
जा चुकी है। अधिवक्ता के विपरीत सं. 1
के अधिवक्ता को स्थगन अधिन पत्र पर
दुन गया। पत्रावली को अवरलोकन दिया।
स्थगन आदेश मूल अधिन पत्र में विपरीत
सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा काफ़ी समय से
जवाब पेश नहीं किया गया। ही लिहाज़
स्थगन आदेश मूल वाद के फैसल होने तक
ताक़तला कन्फ़र्म किया जाता है। पत्रावली
फैसल सुनार होकर जामिले एक्टर हो एकर
बन्दार से कर हो।



सहायक अधिवक्ता
(S.D.), बीहड़

